संख्या:-21/2026/481ई-2/तेरह-2026-400005

प्रेषक,

दयाराम
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 17 जून, 2026

विषयः- मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि., यूनिट असमोली डिवीजन बायो फयूल्स एण्ड स्प्रिट्स, जनपद-सम्भल आसवनी के प्लांट 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता को 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता विस्तार किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-89/दो-प्रा.डी.-92/धामपुर बायो आर्गेनिक्स, दिनांक 06-02-2026, पत्र संख्या:-जी-104/दो-प्रा.डी.-92/धामपुर बायो आर्गेनिक्स, दिनांक 10-03-2026, पत्र संख्या:-जी-01/दो-प्रा.डी.-92/धामपुर बायो आर्गेनिक्स, दिनांक 07-04-2026, पत्र संख्या:-जी-10/दो-प्रा.डी.-92/धामपुर बायो आर्गेनिक्स, दिनांक 15-05-2026 एवं पत्र संख्या:-जी-16/दो-प्रा.डी.-92/असमोली/2025-26, दिनांक 03-06-2026 तथा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 08-06-2026 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:480ई-2/तेरह-2026-400005, दिनांक 17-06-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 06-02-2026, 10-03-2026, 07-04-2026, 15-05-2026 एवं 03-06-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि. आसवनी असमोली, सम्भल में स्थापित 150 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के शीरा आधारित प्लाण्ट की उत्पादन क्षमता 200 किलोलीटर प्रतिदिन अर्थात वार्षिक क्षमता 700 लाख लीटर निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) नियमावली (यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आसवनी द्वारा गुड मेन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालनों करते हुये उत्पादन किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) आसवनी द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता के लिये 150 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लाण्ट की स्थापना के समय से अन्तर बढ़ी हुयी पी.डी.-2 अनुज्ञापन की फीस देय होगी।

(5) आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर उत्पादन आरम्भ करने के तीन माह के अन्दर किसी प्रतिष्ठापरक संस्थान यथा एन.एस.आई., कानपुर/वी.एस.आई., पुणे अथवा किसी आई.आई.टी. से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

300 किलोलीटर प्रतिदिन (100 किलोलीटर ड्यूल प्लाण्ट एवं 200 किलोलीटर प्रश्नगत प्लाण्ट) उत्पादन का वेलिडेशन कराना होगा।

(6) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा अर्थात उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करते हुये ही स्वीकृत क्षमता पर उत्पादन किया जायेगा।

(7) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(8) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(9) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(10) इस प्लाण्ट के लिए बिना अतिरिक्त प्लाण्ट/मशीनरी स्थापित किये पुनः क्षमता वृद्धि का कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

(11) आसवनी में स्थापित 100 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के ड्यूल मोड (ग्रेन/शीरा) एवं केवल शीरा आधारित प्लाण्ट 150 किलोलीटर क्षमता के प्लाण्टों के आधार पर आसवनी की कुल अधिष्ठापित क्षमता 250 किलोलीटर प्रतिदिन अर्थात 875 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित है जिसमें से 200 लाख लीटर पेय एवं शेष 675 लाख लीटर औद्योगिक निर्धरित है। आसवनी के 150 किलोलीटर क्षमता के प्लाण्ट की क्षमता 200 किलोलीटर प्रतिदिन निर्धारित होने के उपरान्त आसवनी दैनिक उत्पादन क्षमता 300 किलोलीटर प्रतिदिन अर्थात 1050 लाख लीटर वार्षिक में से पेय क्षमता पूर्ववत् 200 लाख लीटर वार्षिक ही रहेगी तथा शेष 850 लाख लीटर औद्योगिक क्षमता रहेगी।

(12) आसवनी द्वारा ब्वायलर एक्ट 1923 (यथासंशोधित) में प्राविधानित सम्पूर्ण सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्पादन किया जायेगा।

(13) आसवनी में सम्पूर्ण सुरक्षा उपायों की कड़ाई से निगरानी सुनिश्चित कराने हेतु आसवनी में तैनात सहायक आबकारी आयुक्त को यथावश्यक निर्देश आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज के स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

(14) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(15) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

भवदीय,

(दयाराम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-21/2026/481(1)ई-2/तेरह-2026-400005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(दयाराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in